



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1385

दिनांक :- 07/6/24

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ कराये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/525, दिनांक 12/01/2024
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/525, दिनांक 12/01/2024 के द्वारा पूर्व में सूचित किया गया था कि नवीन सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने से पूर्व परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ संबंधी महाविद्यालय स्तर पर विज्ञापन आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर चयन समिति गठन हेतु विज्ञापन की मूल प्रति के साथ विश्वविद्यालय में दिनांक 15.01.2024 तक अपना आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

जिन महाविद्यालयों के द्वारा परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ नहीं करवाई गई है वे महाविद्यालय दिनांक 20.06.2024 तक परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत कार्यवाही संबंधी आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर कार्यवाही पूर्ण करें।

यदि महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराई जाती है, तो आगामी सत्र में महाविद्यालय की सम्बद्धता पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधन की होगी।

नोट :- 1. चयन संबंधी समस्त कार्यवाही हेतु परिनियम 28 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. जारी किये जाने विज्ञापन में विज्ञापित पदों की संख्या/विषय स्पष्ट रूप से अंकित करें।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1386
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 07/6/24

01. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)